निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 ज्येष्ठ 1940 (श0)

(सं0 पटना 532) पटना, वृहस्पतिवार 7 जून 2018

सं0 08/आरोप–01–31/2014सा0प्र0–4524

सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

5 अप्रील 2018

श्री नरेन्द्र मोहन झा, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक–753/11 के विरूद्ध प्रखंड विकास पदाधिकारी, गड़हनी के पदस्थापन काल से संबंधित आरोपों (इन्दिरा आवास योजना के कार्यान्वयन में गम्भीर अनियमितता बरतने) पर कार्रवाई हेतु जिला पदाधिकारी, भोजपुर, आरा के ज्ञापांक–26 (मु०) दिनांक 12.09.2007 द्वारा आरोप, प्रपत्र 'क' प्राप्त हुआ। विभागीय पत्रांक–12202 दिनांक 11.12.07 के अनुपालन में श्री झा से प्राप्त स्पष्टीकरण की सम्यक् समीक्षा के उपरांत आरोपों की वृहद जाँच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम 17 (2) के तहत संकल्प ज्ञापांक–6680 दिनांक 15.06.11 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के क्रम में उनका बचाव बयान/लिखित अभिकथन प्राप्त हुआ। अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर समीक्षा के उपरांत आरोपो की प्रमाणिकता (इन्दिरा आवास के लाभुकों के चयन में पारदर्शिता नहीं बरतना, बी०पी०एल० श्रेणी में नहीं रहने वाले एवं स्वयं के पक्का मकान में आवासित करने वाले व्यक्तियों को भी योजना का लाभ दिया जाना, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कोटा में से गैर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को इन्दिरा आवास की स्वीकृत प्रदान करना एवं अपने पक्का मकान में आवासित करने वाले अनुसूचित जाति अथवा गैर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को भी इन्दिरा आवास का आवंटन किया जाना इत्यादि) के आधार पर विभागीय संकल्प ज्ञापांक 15266 दिनांक 01.12.2017 द्वारा 03 (तीन) वेतन वृद्धियों पर संचयात्मक प्रभाव से रोक एवं 05 (पाँच) वर्षो के लिए प्रोन्नति पर रोक (प्रोन्नति देयता की तिथि से) संबंधी दंड संसूचित किया गया।

2. उपर्युक्त दंड के विरूद्ध श्री झा ने अपना पुनर्विलोकन अभ्यावेदन (पत्राक 132 दिनांक 18.01.2018) समर्पित करते हुए प्रमाणित आरोपों पर अपना बचाव प्रस्तुत किया। उक्त अभ्यावेदन में निहित तथ्य उनसे पूर्व में प्राप्त स्पष्टीकरण में भी प्राप्त हुआ था जिसकी समीक्षा के उपरांत ही दंडादेश पारित किया गया था। इस आधार पर उनका पुनर्विलोकन अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

अतएव उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री नरेन्द्र मोहन झा, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक–753/11 के विरूद्ध संकल्प ज्ञापांक 15266 दिनांक 01.12.2017 द्वारा संसूचित दंड (03 (तीन) वेतन वृद्धियों पर संचयात्मक प्रभाव से रोक एवं 05 (पाँच) वर्षो के लिए प्रोन्नति पर रोक (प्रोन्नति देयता की तिथि से)) यथावत रखा जाता है।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,

राम बिशुन राय,

सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 532-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in